



## कार्यालय : जिला मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा -: संवेदक चयन से संबंधित विज्ञापन सूचना :-

एतद् द्वारा शेखपुरा जिला अन्तर्गत तीन (03) प्रखंडों अरियरी, चेवाडा एवं बरबीघा के लिए दो वित्तीय वर्ष (2019-20, 2020-21) हेतु राज्य खाद्य निगम के गोदाम से ज्वावल निर्धारित मात्रा में उठाकर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने हेतु मुहरबंद आवेदन/निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। अधोलिखित शर्तों के अधीन मुहरबंद आवेदन दैनिक समाचार पत्रों में प्रथम प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों तक कार्यालय समयावधि 05:00 अपठ बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा के कार्यालय में रजिस्ट्री डाक के माध्यम से प्राप्त किये जाएँगे। आवेदन/निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। बगैर मुहरबंद/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/ओभर राइटिंग किये गये आवेदन/निविदा अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। निविदा खोले जाने की सूचना समाचार पत्रों कार्यालय सूचना-पट प्रकाशित एवं दूरभाष पर दी जायेगी। जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा।

### आवेदन/निविदा की शर्तें निम्नवत हैं :-


1. आवेदन में आवेदक को व्यावसायिक 05 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (जिसका ऑनरबुक/रोड टैक्स/फिटनेस/इंश्योरेंस/परमिट/प्रदुशण अद्यतन है) मालिकों का लिखित नन जुडिसयल स्टाम्प (मूल्य 100/-रु० पर) एकरारनामा के साथ वाहन के अद्यतन रोड टैक्स/फिटनेस/इंश्योरेंस पेपर/परमिट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन होने की स्थिति में वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार संवेदक द्वारा यताये गये समय पर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। राज्य से बाहर के निबंधित वाहन का एकरारनामा मान्य नहीं होगा।
2. निविदादाता बिहार राज्य के निवासी हो तथा स्वयं का 02 वाहन होना अनिवार्य है।
3. आवेदक को इस आशय का लिखित एकरारनामा भी प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने के स्थिति में निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2189 दिनांक 21.12.2016 के आलोक में संवेदक स्वयं Hanging Weigh Machine क्रय करेंगे तथा मध्याह्न भोजन योजना का वावल का प्रत्येक बोरा तौलकर विद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. आवेदक को 50000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में (बैंक ड्राफ्ट जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा के पक्ष में देय होगा) आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक जमा रहेगा। संवेदक के रूप में चयन नहीं होने पर यह बैंक ड्राफ्ट संबंधित राशि को वापस कर दिया जाएगा। जिन चयनित संवेदक के द्वारा समय पर कार्य नहीं करने/या किसी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा अरंतोशाजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म०भ००यो० के द्वारा जप्त कर ली जायेगी।
5. आवेदक को आवेदन के साथ आरक्षी अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी निर्गत "मूल वरित्र प्रमाण-पत्र" जो तीन माह के अंदर निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा। छायाप्रति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
6. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 कलर फोटो/आई०डी० कार्ड/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय के स्टोर तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दंड लगाते हुये राशि की वसूली किये जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किये जायेगा।
8. एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 (दो वर्ष) के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषप्रद कार्य/गबन करने की स्थिति में एकरारनामा बीच में भी रद्द किया जा सकता है।
9. चयनित संवेदक को दुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का प्रयोग किया जायेगा। दुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना संबंधित प्रखंड का नाम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,





मध्याह्न भोजन योजना, संबंधित प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक का नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखा होना अनिवार्य है।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है। साथ ही निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि " वह कहीं से काली सूची में नहीं है तथा निविदा में जमा किये गये सभी कागजात सही है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत धार्ये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
11. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा किसी आवेदन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा तथा किसी प्रकार की विवाद का निपटारा शेखपुरा जिला के न्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत किया जाएगा।
12. चयन के लिए जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. आवेदक केवल एक ही प्रखंड के लिए आवेदन देंगे। एक ही आवेदक यदि एक से अधिक प्रखंड हेतु आवेदन देते हैं तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
14. आवेदक आवेदन पत्र बंद लिफाफे के उपर पर निविदा आमंत्रित प्रखंड का नाम स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में दर्शावेंगे।
15. प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक उदाव किये गये खाद्यान्न को निर्धारित विद्यालय में अवश्य पहुँचा देंगे इसे गण्डारित करना सर्वथा वर्जित है।
16. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए मान्य होगी तथा चयनित संवेदक से 02 वर्ष तक ही कार्य लिया जायेगा, 02 वर्ष के बाद अग्रधि विस्तार नहीं किया जायेगा।
17. समान अर्हता की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जायेगा।
18. आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी मध्याह्न भोजन योजना जिला कार्यालय, शेखपुरा से प्राप्त की जा सकती है।
19. विज्ञापन से संबंधित जानकारी जिला के वेबसाईट [www.sheikhpara.bih.nic.in](http://www.sheikhpara.bih.nic.in) पर देखी एवं संवेदक चयन से संबंधित हेतु आवेदन-सह-स्वघोषणा पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन /निविदा जमा करने का पता :- कार्यालय जिला मध्याह्न भोजन योजना, जिला प्राणीण विकास अभिकरण भवन रूम नं०-17 समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, पिन - 811105 (बिहार)

  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
-सह-सचिव,  
मध्याह्न भोजन योजना,  
शेखपुरा

  
उपविकास आयुक्त,  
शेखपुरा

  
जिला पदाधिकारी, शेखपुरा  
-सह-अध्यक्ष,  
मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, .....।  
संवेदन चयन हेतु आवेदन-सह-स्वघोषणा पत्र।

1. आवेदित प्रखंड का नाम :- .....
2. आवेदक का नाम :- .....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :- .....
4. उम्र (जन्म तिथि) :- .....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :- .....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :- .....

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

7. स्थायी पता :- .....
- ग्राम- ..... पोस्ट- ..... थाना -.....
- प्रखण्ड - ..... जिला - ..... राज्य-- .....
- पिन कोड- .....

8. पत्राचार का पता :- .....
- ग्राम- ..... पोस्ट- ..... थाना -.....
- प्रखण्ड - ..... जिला - ..... राज्य-- .....
- पिन कोड- .....

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :- .....

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :- .....

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :- .....

12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :- .....

(एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ/नहीं) :- .....

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना में कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक/ असंतोषजनक	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ.सं० .....

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनो की संख्या :-

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	निजी वाहन		अन्य वाहन		कुल वाहन	
1.												
2.												पृ.सं. .... से .... तक
3.												पृ.सं. .... से .... तक
4.												पृ.सं. .... से .... तक
5.												पृ.सं. .... से .... तक
6.												पृ.सं. .... से .... तक
7.												पृ.सं. .... से .... तक
8.												पृ.सं. .... से .... तक

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ/नहीं) :- .....

(यदि हाँ तो, किनके नाम से ..... एवं आपसे संबंध .....

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :- .....

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, ..... के साथ सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ/नहीं) :- .....

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :-

(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (उपर से नीचे तक) :- .....

(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (नीचे से उपर तक) :- .....

“मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रद्द करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा”।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता